

प्रेषक,

मो० वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशायी अधिकारी,

नगर पंचायत, खड़डा,

जनपद- कुशीनगर।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक २२ मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-55/2023/195/Comp.No.1700502, दिनांक 30.03.2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित सी०सी० रोड निर्माण कार्यों हेतु नगर पंचायत, खड़डा, जनपद-कुशीनगर को कुल लागत धनराशि ₹० 100.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹० 25.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-कुशीनगर द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, जनपद-कुशीनगर की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, खड़डा, जनपद-कुशीनगर को द्वितीय किश्त की धनराशि ₹० 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) अनुदान संख्या-37, पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

(2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2024 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


(4) शासनादेश संख्या-55/2023/195/Comp. No. 1700502, दिनांक 30.03.2023 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किशत की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेगे, तभी द्वितीय किशत की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही द्वितीय किशत की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक- 19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 75.00 लाख (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021930500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।


4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/ दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 वासिफ) 22.03.24
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-164/2024/Rf-88/नौ-9-2024/034-E-1700470, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, जनपद-कुशीनगर।
5. कोषाधिकारी, जनपद-कुशीनगर।
6. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।
9. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आजा से,

(मो0 वासिफ) 22.3.24
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-22/03/2024

प्रेषण संख्या:- 164
आवंटन आदेश संख्या:- 001-164-2024-RF-88-9-9-2024-042-E-1700470
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	कुशीनगर-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 28729000	7500000 28729000
	योग	वर्तमान प्रगामी	7500000 28729000	7500000 28729000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्तासी लाख उन्तीस हजार


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव